प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 06 फरवरी, 2017**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-17 में संस्थान में टाइप-4 के आवासीय भवनों (स्टिल+10 मंजिल) 40 नग के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-पी0जी0आई0/सिविल/अभि0/एन0बी0-84/648/2017 दिनांक 12-1-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- एस0जी0पी0जी0आई0 में टाइप-4 के आवासीय भवनों (स्टिल+10 मंजिल) 40 नग के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-1874/71-2-14-पी-32/2012 दिनांक 27 अक्टूबर, 2014 द्वारा रू0 1926.76 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। अनुमोदित लागत के सापेक्ष अब तक विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से कुल रू0 1465.55 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्र0	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	अवमुक्त धनराशि
1	1874/71-2-14-पी-32/2012 दिनांक 27 अक्टूबर, 2014	770.70 लाख
2	16/3934/71-2-14-पी-32/2012 दिनांक 18 दिसम्बर, 2014	161.85 लाख
3	75/2015/2899/71-2-15-पी-32/2012 दिनांक 28 अगस्त, 2015	533.00 लाख
	योग-	**1465.55 लाख**

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष् 2016-17 में एस0जी0पी0जी0आई0 में टाइप-4 के आवासीय भवनों (स्टिल+10 मंजिल) 40 नग के निर्माण हेतु रू0 03,64,87,200/- (रूपया तीन करोड चौसठ लाख सत्तासी हजार दो सौ मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

1) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था/संस्थान की होगी। स्वीकृत धनराशि को किसी भी दशा में बैक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।
2) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु जारी की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा। संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
3) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22-3-2016 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।

4) स्वीकृत धनराशि का व्यय ई-परियोजना प्रबन्धन की वेबसाइट पर समयबद्ध रूप से दर्ज कराया जायेगा एवं भौतिक प्रगति के फोटोग्राफ भी पोर्टल पर अपलोड किया जाना कार्यदायी संस्था का दायित्व होगा।

4- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ-24-वृहत् निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 अनिता भटनागर जैन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-11/2017/189(1)/71-2-17-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2) कोषाधिकारी, लखनऊ ।
3) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4) वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ
5) वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4
6) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
7) परियोजना प्रबन्धक, सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।